

**धारा 121 : अपील न किए जा सकने वाले विनिश्चय और आदेश**

इस अधिनियम के उपबंधों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि इस प्रकार लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है, अर्थात् :-

- (क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को अंतरित करने का निदेश देने में सशक्त हो; या
  - (ख) लेखा बहियों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित कोई आदेश; या
  - (ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश; या
  - (घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश।
-